भाजीपाला रोपमळे, फळरोपपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ १७२२) या लेखाशिर्षातर्गत २७- लहान बांधकामे बाबीखाली शासकीय फळरोपवाटिकांच्या प्रक्षेत्रावरील बांधकामांच्या अंदाजपत्रकास वित्तीय मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२४/प्र.क्र.१२/१३-अ

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक: १४ फेब्रुवारी,२०२४

वाचा:-

- 9) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/२७-गौण बांधकामे/नि.मा./३५१८४/२०२३, दि. ०२/११/२०२३.
- २) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/२४०१ १७२२/निधी मागणी/१६७७१/२०२३, दि. १८/०५/२०२३.

प्रस्तावना:-

भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उदयाने (अनिवार्य) (२४०१ १७२२) या लेखालेखाशिर्षातर्गत २७-लहान बांधकामे बाबीखाली निधी वितरीत करून घेण्यासाठी शासनास प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यतेसह प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. विविध शासकीय फळरोपवाटिका, प्रक्षेत्रावरील बांधकामांच्या अंदाजपत्रकास वित्तीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय:-मुख्यालेखात्रिर्ष २५०९ १७२२ मधील २७ लहान बांधकामे या बाबी अंतर्गत खालील एउटावित कार

मुख्यलेखाशिर्ष २४०१ १७२२ मधील २७ लहान बांधकामे या बाबी अंतर्गत खालील प्रस्तावित कामांना वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | फळरोपवाटिकेचे नांव | बाब | रक्कम (रुपये) |
|--------|---------------------------------|---|---------------|
| ٩. | तालुका फळरोपवाटिका,बिदुसरा ता. | संरक्षित भिंत | ९,९६,३४४.०० |
| | जि. बीड | सिमंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे | ९,९८,०११.०० |
| | | भांडार गृह दुरूस्ती करणे | ७,४५,८०२.०० |
| ٦. | तालुका फळरोपवाटिका, किल्ला, ता. | प्रक्षेत्रावर पॉलीहाउस दुरूस्ती करणे | 4,84,८84.00 |
| | रोहा, जि. रायगड | प्रक्षेत्रावर अर्धवर्तुळाकार नवीन जी.आय | £,£0,000.00 |
| | | मध्ये नर्सरी टनेल ४ नग | |
| | | प्रक्षेत्रावर पॉलीहाउस फॉमिंग सिस्टिम व | ξ0,000.00 |
| | | QRC करणे२०X२८ | |
| 3. | कृषि चिकित्सालय तथा तालुका | ७.५ एच.पी.सोलर पंप | 3,९७,३५१.०० |
| | फळरोपवाटिका दिडोंरी जि. नाशिक | | |
| | (पृ. २११ ते २६९ /प.वि.) | | |
| 8. | तालुका फळरोपवाटिका रवळगांव, ता. | ७.५ एच.पी.सोलर पंप | 3,९७,३५१.०० |
| | दिडोंरी, जि. नाशिक | | |
| ч. | तालुका फळरोपवाटिका पिपंळगांव | ७.५ एच.पी.सोलर पंप | 3,90,349.00 |
| | बसवंत, ता. निफाड, जि. नाशिक | | |

| ξ. | तालुका फळरोपवाटिका चादवड, जि. | ७.५ एच.पी.सोलर पंप | ३,९७,३५१.०० |
|-----|--|--|----------------|
| | नाशिक | चेनलिंग कंपाउड | ८,९१,०००.०० |
| 9. | तालुका फळरोपवाटिका येवला, जि. | प्रक्षेत्रावर हार्डनिंग शेड कार्यालय परिसर | ९,९९,८५२.०० |
| | नाशिक | तयार करणे | |
| | | रस्ता खडीकरण डांबरीकरण भाग-२ | 9,99,039.00 |
| ۷. | तालुका फळरोपवाटिका साकोरे ता. | शेडनेट दुरूस्ती | 9,8८,३३४.०० |
| | कळवण, जि. नाशिक | पॉलीहाउस दुरूस्ती | 9,८०,99५.०० |
| ۶. | तालुका फळरोपवाटिका नांदगांव ता. | पाईप लाईन बाविणे | ४,९९,०९४.०० |
| | नांदगांव, जि. नाशिक | | |
| 90. | तालुका फळरोपवाटिका, अक्राणी ता. | ७.५ एच.पी.सोलर पंप | ३,९७,३५१.०० |
| | शहादा जि. नंदुरबार | पाण्याची टाकी दुरूस्ती करणे | २,००,०००.०० |
| 99. | तालुका फळरोपवाटिका, कन्हेरी ता. | प्रक्षेत्रावर १ शेडनेट व ४ पॉलीहाउस | 9,९७,9७६.०० |
| | बारामती जि. पुणे | दुरूस्ती करणे | |
| ٩२. | | प्रक्षेत्रावर शेडनेट हाउस दुरूस्ती करणे | २,५१,३२९.०० |
| | तालुका फळरोपवाटिका, आंधळगांव, ता. माहोडी जि. भंडारा | | |
| 93. | ता. महारा जि. महारा तालुका फळरोपवाटिका, चाकूर ता. | संरक्षक भिंत बांधकाम करणे गट | 9,99,000.00 |
| ۱۶. | चाकूर, जि. लातूर | नं. ४५५ (शेतळे जवळील बाजु) | 5,51,000.00 |
| | 317, 121. (11/2) | संरक्षक भिंत बांधकाम करणे गट | ९,९३,०००.०० |
| | | नं. ४५५ (दक्षिण बाजु) | 3, 34,000.00 |
| 98 | तालुका फळरोपवाटिका, तिसंगी ता | प्रक्षेत्रावर बोअरवेल घेणे व पाईपालाईन | ४,८७,९०९.०० |
| | खेड, जि. रत्नागिरी | करणे | 3,00, 1- 1,00 |
| | | प्रक्षेत्रावर कलमांना शेड बांधणे | 3,38,000.00 |
| | | (भाग–२) | |
| 94 | कृषि चिकित्सालय तथा तालुका | हार्डनिंग शेंड क्रमांक ५ चे बांधकाम करणे | ५,२०,२००.०० |
| | फळरोपवाटिका पोमेंडी ता. | माती साठवण शेडचे बांधकाम करणे | ९,१९,०००.०० |
| | जि.रत्नागिरी | | |
| | | एकूण:- | ঀ,४६,ঀ७,२०५.०० |
| ٩६. | तालुका फळरोपवाटिका, नरखेड, | येथील प्रक्षेत्रावरील गौण बांधकामासाठी | 9,30,८६,०६८.०० |
| | लोणेरे, रेपोली मागील वितरणातील | | |
| | बाकी राहिलेला निधी. | | |
| | (रु. ३,२२,८०,९१७-रु.१,९१,९४,८४९) | | |
| | | एकूण:- | २,७७,०३,२७३.०० |

सदरचा खर्च भाजीपाला रोपमळे,फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ १७२२) या योजनेत्तर योजने अंतर्गत २७- लहान बांधकामे बाबीखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

उपरोक्त प्रस्तावातील मागण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर निधी हा ज्या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे त्याच कामांसाठी वापरण्यात यावा. सदर निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र विहित वेळेत शासनास सादर करावे. ६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २०/२०२४/व्यय-१, दि.२४/०१/२०२४ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१४१७०५०२०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(हे. गो. म्हापणकर) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत अग्रेषित:-

- १) आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- २) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर.
- ४) सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्तालय,पुणे.
- ५) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२.
- ६) विभागीय कृषि सह संचालक, ठाणे,नाशिक, औरंगाबाद,लातूर, नागपूर,पुणे.
- ७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड, भंडारा, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, लातूर, रत्नागिरी, नागपूर.
- ८) जिल्हा कोषगार अधिकारी, बीड,भंडारा,रायगड,नाशिक,नंदुरबार, पुणे,लातूर, रत्नागिरी, नागपूर
- ९) निवड नस्ती-१३-अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई.